

राजस्थान सरकार  
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

क्रमांक: एफ.1(1)गृह/सम्पर्क/सचि./प्रको./2009 पार्ट 1

जयपुर, दिनांक: 05.08.2021

**आदेश**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषा पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.7(2) डीओपी/क-2/2005 दिनांक 20.1.2006 के अनुसार कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष तक की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationary Trainee) के रूप में वित्त (नियम अनुभाग) विभाग की नोटिफिकेशन संख्या: एफ. 15 (1) एफडी (रूल्स)/2017 Pt. दिनांक 30.10.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स 2017 के Schedule-IV (Rule No. 16) में निर्धारित नियत पारिश्रमिक रूपये 31,100/- (अक्षरे रूपये इकतीस हजार एक सौ मात्र) प्रतिमाह एवं तत्पश्चात वेतन पे मेट्रिक्स लेवल-12 (ग्रेड पे-4800) में नियमानुसार प्रतिमाह देय अन्य भत्तों पर जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर एतद् द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	नाम अभ्यर्थी	वर्ग	वर्ग जिसके विरुद्ध चयनित	मेरिट नंबर	जन्म तिथि	पत्र व्यवहार का पता
1.	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	GE	GENM	8A	10.12.1987	S/o श्री मग सिंह, स्थाई पता-101, राजपूतों की बड़ी पोल, ग्राम-वडिया पोस्ट-देवली (आउवा) जिला-पाली (राज.) पिन-306021 पत्राचार पता - 01, सहजपुरा कॉलोनी, खातीपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर पिन-302012 Email : devpratap7773@gmail.com मो.नं. 7204047773, 8867047773
2.	श्री सन्तोष कुमार मीना	ST	STM	26A	20.06.1987	S/o श्री राम जीवन मीना, स्थाई पता-नंगला कूंगर, ग्राम पोस्ट- झारौटी, तहसील-भूसावर जिला-भरतपुर (राज.) पिन -321615 पत्राचार पता - E-13, सरस्वती नगर, गेटौर रोड, जगतपुरा, जयपुर पिन-302017 Email : santoshabhi.meena@gmail.com मो.नं. 9001531233

ये नियुक्ति आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के “**These appointments are subject to the decision of S.B. Civil Writ Petition No. 4768/2021**” के अध्यक्षीन जारी किये जाते हैं।


उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या: एफ.15(1)वित्त(नियम) 2017 दिनांक 30.10.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम-16 व परिशिष्ट-IV के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस तथा वार्षिक वेतन वृद्धि इत्यादि) देय नहीं होंगे। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि में नियुक्ति की शर्तें कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.3.2006 के अनुसार रहेगी।

उक्त अभ्यर्थियों में से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व/बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में उनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेरिट के आधार पर ही रहेगा। उक्त अभ्यर्थियों को पेंशन एवं अन्य लाभ राजस्थान सिविल सर्विसेज पेंशन (संशोधन) नियम-2004 के अन्तर्गत नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत देय होंगे तथा

उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत होगी एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश लागू होंगे।

उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर में देंगे अन्यथा ये आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। मुख्यालय पर उपस्थिति देने के तत्पश्चात् एक सप्ताह का विभागीय गतिविधियों का शाखाधिकारियों से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यदि किसी कारणवश यदि कोई अभ्यर्थी ज्वार्इन करने में असमर्थ हों, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य/केन्द्र सेवा में नियमित रूप से सेवारत है उन्हें नियमानुसार वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, गत भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जा रहे हैं।


ये आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

  
(पुरुषोत्तम शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
राजस्थान, जयपुर

**प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय सूजस, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूजस।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र संख्या : एफ.7(42)भर्ती/गोपनीय/2018-19/298 दिनांक 05.07.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, सूजस।
8. अतिरिक्त निदेशक, सूजस मुख्यालय, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, पंजीयन/समाचार/क्षेत्र प्रचार/विज्ञापन, मुख्यालय, जयपुर।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
12. उप निदेशक(प्रशासन) मुख्यालय, जयपुर।
13. लेखा (भुगतान/बजट) शाखा, मुख्यालय, जयपुर।
14. संबंधित अभ्यर्थी को पालनार्थ।
15. संबंधित अभ्यर्थी की निजी संचायिका।
16. रक्षित पत्रावली।

  
(महेश चन्द्र शर्मा)  
उप निदेशक(प्रशासन)